

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8020

दिनांक - 29/08/2025

प्रार्थीगण
1 कमला पुत्री रामाराम 2 नोजी पुत्री रामाराम 3 पेम्पोदेवी पत्नि रामाराम जाति जाट निवासी बांकलसर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 अचलाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी बांकलसर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-252/2025

दिनांक- 11/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा वाकलसर हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 394/30 रकबा 2.4848 हैक्टर, खसरा संख्या 398/48 रकबा 10.303 हैक्टर, खसरा संख्या 402/90 रकबा 0.6475 हैक्टर, खसरा संख्या 74 रकबा 4.9453 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/8021-8024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक-29/08/2025

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दुदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी आम्वाराम पुत्र धुडाराम जाति जाट निवासी बेरड गोमारानगर तहसील बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केसराराम पुत्र जोराराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरड गोमारानगर तहसील बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

